Form No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम श्रीडूंगरगढ

हीरा पुत्री ज्यानाराम सांरी पत्नी आसाराम जाति सांरी निवासी शेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर बनाम आसूराम वगै.

राजस्व प्रार्थना पत्र मुकदमा नम्बर 53/2024 U/S 212 RTA

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
20.02.2024	आज यह प्रार्थना पत्र हीरा ने जरिये श्री वृजेश पुरोहित अधिवक्ता मार्फत पेश किया। प्रार्थी ने अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना की जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता को इकतरफा सुना गया । बहस पर मनन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया प्रकरणं प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है । अतः अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि खेत खसरा नम्बर 114 तादादी 5.2000 हैक्टेयर वाकेरोही बिग्गाबास रामसरा तहसील श्रीडूंगरगढ में उभयपक्ष आगामी सुनवाई तिथि तक राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाऐ रखें। अप्रार्थीगण को अगर इसमें कोई आपत्ति हो तो जरिये असालतन या वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर तारीख पेशी दिनांक 06.03.2024 को आकर पेश करें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हों। प्रार्थी अधिवक्ता सीपासी आदेश 39 नियम 3 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड एडी नोटिस तलब कर पत्रावली आयन्दा दिनांक 06.03.2024 को पेश हों । उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ	
06.03.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थिनी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र बाबत T.I. विड्रो करने का पेश कर निवेदन किया गया कि उनवानी प्रार्थना पत्र में प्रार्थिनी अब कोई कार्यवाही नहीं चाहती है, प्रार्थिनी का लोक अदालत की प्रेरणा से राजीनामा हो चुका है। प्रार्थना पत्र की बाबत स्टेज पर विड्रो करने की अनुमति प्रदान करें। [illegible] प्रार्थना पत्र बाबत प्रार्थना पत्र T.I. [illegible] करने के आधार पर प्रार्थी [illegible] विड्रावल में खारिज [illegible] पत्रावली वाद निर्णय दायरा रजिस्टर में [illegible] कर दाखिल दफ्तर की। आदेश सुनाया गया। (उमा मित्तल) उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.03.20 12:38:16 IST
Reason: SelfAttested